

व्यवसाय अध्ययन

अध्याय-6: व्यवसाय का सामाजिक उत्तरदायित्व एवं व्यावसायिक नैतिकता



व्यवसाय के सामाजिक उत्तरदायित्व का अर्थ एवं परिभाषा

आधुनिक काल में नागरिकों के जीवन और समाज पर व्यावसायिक कार्यकलापों का विभिन्न रूप से बहुत बड़ा प्रभाव होता है। पूर्व-आधुनिक काल में व्यवसायी वर्ग के लिए व्यवसाय के 'सामाजिक' मूल्य के संबंध में चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती थी क्योंकि उस समय आशा की जाती थी कि बाजार की शक्तियाँ मूल्य व्यवस्था को स्वयं ही बनाए रखेंगी। यदि कोई व्यवसाय सफल होता था तो यह माना जाता था वह अपने से कम सफल व्यवसाय की अपेक्षा सामाजिक मूल्यों को अधिक बनाए रख रहा है लेकिन आधुनिक युग के समाज-विज्ञानी ऐसा नहीं मानते। आज सभी मानते हैं कि व्यवसाय के अन्तर्गत केवल ग्राहकों को संतुष्ट करके केवल आर्थिक लाभ को प्राप्त करना ही नहीं आता बल्कि उसका कर्तव्य तो कुछ और सामाजिक दायित्वों को पूरा करना भी है।

व्यवसाय के सामाजिक उत्तरदायित्व के विचार का विकास

अठारहवीं एवं उन्नीसवीं शताब्दी के उपनिवेशी काल में व्यवसाय बहुत छोटे स्तर पर किये जाते थे तथा व्यवसायी मितव्ययिता व किफायत से कार्य करते थे। इसके बावजूद वे समय-समय पर स्कूलों, गिरजाघरों तथा गरीबों के उत्थान हेतु अंशदान किया करते थे। इसके अतिरिक्त, प्राचीनकाल में किसी प्राकृतिक विपदा के समय व्यवसायी जरूरतंद लोगों के लिए अपने गोदाम खोल दिया करते थे तथा निर्धनों की आवश्यकताओं को पूरा करते थे। इस प्रकार व्यवसाय के सामाजिक उत्तरदायित्व का विचार कोई नवीन विचार नहीं है। प्राचीन काल से ही व्यवसायी अपने सामाजिक उत्तरदायित्वों को समझता रहा है तथा उनका निर्वाह करता रहा है। व्यवसाय का संचालित रहना, पूँजी की उपलब्धता, श्रम की प्राप्ति, लाभ इत्यादि समाज पर ही निर्भर है। व्यवसाय समाज में, समाज के लिए तथा समाज के लोगों द्वारा किया जाता है।

पिछले 40-50 वर्षों में व्यवसाय के सामाजिक उत्तरदायित्व के क्षेत्र में निरंतर वृद्धि हुई है। इसके क्षेत्र में शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, कर्मचारी कल्याण, आवास, पर्यावरण संरक्षण, संसाधनों का संरक्षण इत्यादि से सम्बन्धित कार्यक्रमों को शामिल किया जाता है। यहाँ एक आधारभूत प्रश्न सामने आता है कि सामाजिक उत्तरदायित्व की अवधारणा एवं क्षेत्र में वृद्धि क्यों हुई है। इसका सीधा जवाब

है कि बढ़ती हुई औद्योगिक क्रियाओं से समाज में अनेक परिवर्तन आये हैं तथा एक व्यवसायी की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि वह समाज के विभिन्न वर्गों के प्रति अपने उत्तरदायित्व को किस तरीके से निभाता है।

व्यवसाय के सामाजिक उत्तरदायित्व के पक्ष में तर्क

व्यवसाय के सामाजिक उत्तरदायित्व के पक्ष में अनेक तर्क दिये जा सकते हैं। उनमें से कुछ महत्वपूर्ण तर्क हैं -

1. **व्यवसाय से सार्वजनिक अपेक्षाओं में परिवर्तन** - सामाजिक उत्तरदायित्व के पक्ष में एक महत्वपूर्ण तर्क यह है कि व्यवसाय से की जाने वाली सार्वजनिक अपेक्षाओं में काफी परिवर्तन हो चुका है। अब उन्हीं व्यवसायिक संस्थाओं का अस्तित्व बना रह सकता है जो समाज की आवश्यकताओं को संतुष्ट करती हैं। व्यवसाय दीर्घकाल में भी जीवित रहे इस हेतु उसे समाज की न केवल आवश्यकताएँ पूरी करनी होंगी बल्कि समाज को वह भी देना होगा जो समाज चाहता है।
2. **सार्वजनिक छवि में सुधार** - सामाजिक उत्तरदायित्व पूरा करने से व्यवसाय की सार्वजनिक छवि या प्रतिबिम्ब में सुधार होता है। प्रत्येक फर्म अपनी सार्वजनिक प्रतिरूप में वृद्धि करना चाहती है ताकि उसे अधिक ग्राहकों, श्रेष्ठ कर्मचारियों, मुद्रा बाजार से अधिक सुविधाएँ इत्यादि के रूप में लाभ प्राप्त हो सकें। एक फर्म जो श्रेष्ठ सार्वजनिक प्रतिबिम्ब चाहती है उसे सामाजिक लक्ष्यों का समर्थन करना होता है।
3. **नैतिक उत्तरदायित्व** - आधुनिक औद्योगिक समाज अनेक गम्भीर सामाजिक समस्याओं, मुख्य रूप से बड़े उद्योगों या निगमों द्वारा उत्पन्न की गयी, से ग्रस्त है। अतः उद्योगों की यह नैतिक जिम्मेदारी है कि वे उन समस्याओं को दूर करने या उनकी गम्भीरता को कम करने में भरसक सहायता करे। चूँकि अर्थव्यवस्था के अनेक संसाधनों पर व्यवसायिक फर्मों या उद्योगों का नियंत्रण होता है इसलिए उन्हें कुछ संसाधनों का समाज के सुधार तथा विकास हेतु उपयोग करना चाहिए।

4. **पर्याप्त संसाधन** - कर्मचारी, योग्यता कार्यात्मक विशेषज्ञता, पूँजी इत्यादि के रूप में एक व्यवसाय के पास संसाधनों की एक बड़ी मात्रा होती है। इन संसाधनों के प्रभुत्व से व्यवसाय सामाजिक उद्देश्यों हेतु कार्य करने के लिए एक अच्छी स्थिति में होता है।
5. **व्यवसाय के लिए अच्छा पर्यावरण** - सामाजिक उत्तरदायित्व के पक्ष में एक महत्वपूर्ण तर्क यह है कि इससे व्यवसाय के अनुकूल एक अच्छा पर्यावरण बनता है। यह धारणा सत्य है कि अच्छे समाज से अच्छे पर्यावरण का जन्म होता है जो व्यवसायिक क्रियाओं के अनुकूल होता है। अच्छे पर्यावरण में श्रमिकों की भर्ती सरल हो जाती है, अच्छी योग्यता वाले श्रमिकों की उपलब्धि होती है तथा श्रमिकों की अनुपस्थिति दर में कमी आती है।
6. **सरकारी नियमन से बचाव** - सरकार एक अतिविशाल संस्था होती है जिसके अनेक अधिकार होते हैं। वह सार्वजनिक हित में व्यवसाय का नियमन करती है। यह नियमन काफी महंगा होता है तथा निर्णयन में व्यवसाय को आवश्यक स्वतंत्रता प्रदान नहीं करता है। इससे पहले कि सरकार अपने अधिकारों का प्रयोग करे व्यवसाय को समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्वों को पूरा करना चाहिए।
7. **श्रम आन्दोलन** - आज का श्रमिक अपने अधिकारों एवं मांगों के प्रति काफी सजग है तथा श्रम आन्दोलन व एकता के कारण व्यवसायी भी अपने सामाजिक उत्तरदायित्वों के प्रति जागरूक हो गये हैं। व्यवसायी भी आज इस तथ्य को स्वीकार करने लगे हैं कि एक संतुष्ट कर्मचारी या श्रमिक व्यवसाय की अमूल्य पूँजी होता है। इसलिए श्रमिकों के प्रति दायित्वों को पूरा करना व्यवसाय का एक प्राथमिक कर्तव्य हो गया है।
8. **वैधानिक प्रावधान** - व्यवसाय पर नियंत्रण रखने हेतु आज विश्व के सभी राष्ट्रों में वैधानिक प्रावधानों को तेजी से लागू किया जा रहा है। इन प्रावधानों का पालन करके व्यवसायी अपने सामाजिक उत्तरदायित्वों को पूरा कर लेते हैं। श्रम कल्याण एवं सामाजिक सुरक्षा, न्यूनतम मजदूरी, क्षतिपूर्ति बोनस, कारखाना अधिनियम आदि के कानूनी प्रावधान सामाजिक उत्तरदायित्वों को बल देते हैं।
9. **हितों में एकता** - व्यवसायिक के संचालन में व्यवसायी के अतिरिक्त समाज के विभिन्न पक्षों का योगदान रहता है। यदि इन पक्षों के हित में टकराहट होती रहे तो व्यवसाय अपने

लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकेगा। सामाजिक उत्तरदायित्व को निभा कर विभिन्न पक्षों के हितों में एकता स्थापित की जा सकती है।

10. **कृतज्ञता का कर्तव्य** - व्यवसायिक इकाइयाँ समाज से विभिन्न प्रकार से लाभान्वित होती हैं। यह सर्वमान्य सिद्धान्त है कि जिससे हम लाभ प्राप्त करते हैं, उसके प्रति हम कृतज्ञता प्रकट करते हैं। सामाजिक दायित्वों को पूरा कर इस कृतज्ञता को सुविधा से चुकाया जा सकता है।
11. **सामाजिक चेतना** - शिक्षा के प्रसार तथा संदेशवाहन के साधनों (अखबार, पत्रिकायें, टेलीविजन, रेडियो आदि) ने सामाजिक चेतना में एक क्रान्ति-सी उत्पन्न कर दी है। आज समाज का प्रत्येक वर्ग सामाजिक दायित्वों को पूरा किये जाने की आशा करने लगा है। इस चेतना के पर्यावरण में व्यवसायी को अपने दायित्वों का निर्वाह करना आवश्यक हो जाता है।

व्यवसाय के सामाजिक उत्तरदायित्व के विपक्ष में तर्क

1. **अतिरिक्त लागत** - व्यवसायी द्वारा सामाजिक उत्तरदायित्व की लागतों को समाज पर हस्तान्तरित कर दिया जाता है। इस प्रकार इन लागतों का सम्पूर्ण भार समाज पर पड़ता है। व्यवसायी स्वयं इन लागतों को नहीं वहन करता बल्कि वस्तुओं के मूल्य बढ़ाकर इन्हें समाज से वसूल कर लेता है। सामाजिक उत्तरदायित्वों के विपक्ष में यह एक महत्वपूर्ण तर्क है।
2. **सामाजिक दक्षता का अभाव** - व्यवसायिक प्रबंधक व्यवसायिक मामलों में निपटने में सिद्धहस्त होते हैं, न कि सामाजिक समस्याओं के मामले में। उनका दृष्टिकोण आर्थिक होता है तथा सामाजिक मामलों में वे अपने को असहज महसूस करते हैं। यह स्थिति सामाजिक उत्तरदायित्व के विपक्ष में जाती है।
3. **समर्थन न मिलना** - बहुत से व्यवसायी सामाजिक दायित्वों को पूरा करना चाहते हैं, लेकिन व्यवहार में कुछ अन्य व्यवसायी इसका विरोध करते हैं। समर्थन के अभाव में इच्छुक व्यवसायी भी अपने हाथ खींच लेते हैं। सामान्य जनता के अतिरिक्त सरकार, व्यवसायी एवं बुद्धिजीवी वर्ग में भी इस मुद्दे पर सहमति का अभाव पाया जाता है।

4. **लाभ अधिकतम करना** - सामाजिक उत्तरदायित्व के विपक्ष में जाने वाला एक शक्तिशाली तर्क व्यवसाय का मुख्य उद्देश्य अपने लाभ को अधिकतम करना है। प्रबंधक जो स्कंधधारियों (Stockholders) के एजेन्ट होते हैं, उनके सारे निर्णय लाभ को ध्यान में रखकर किये जाते हैं न कि सामाजिक दायित्व को ध्यान में रखकर।
5. **जबावदेयता की कमी** - एक मतानुसार व्यवसायी की जनता के प्रति प्रत्यक्ष जबावदेयता नहीं होती है, इसलिए ऐसे क्षेत्र में उन्हें उत्तरदायित्व देना जिसमें वे जबावदेय नहीं हैं, अनुचित होगा।
6. **शक्ति का केन्द्रीयकरण** - व्यवसाय का प्रभाव सम्पूर्ण समाज में महसूस किया जाता है। चाहे शिक्षा हो, घर हो, बाजार हो या सरकार, यह सभी जगह विद्यमान होता है। यह सामाजिक मूल्यों में परिवर्तन करता है। सामाजिक क्रियाओं को व्यवसाय की आर्थिक क्रियाओं के साथ जोड़कर हम व्यवसाय में शक्ति का अत्यधिक केन्द्रीयकरण कर देंगे। अतः व्यवसाय को अधिक शक्ति देना किसी भी दृष्टि से उपयुक्त नहीं होगा।

व्यवसाय के सामाजिक उत्तरदायित्व का क्षेत्र

व्यवसाय के संचालन एवं सफलता में विभिन्न वर्गों का योगदान होता है। उन सभी वर्गों के प्रति व्यवसाय के कुछ न कुछ उत्तरदायित्व होते हैं। प्रमुख वर्गों के प्रति व्यवसाय के उत्तरदायित्वों का विवेचन है :-

स्वामियों या अंशधारियों के प्रति उत्तरदायित्व -

एक व्यवसाय या कम्पनी का अपने अंशधारियों के प्रति जो कम्पनी के स्वामी भी होते हैं, बुनियादी उत्तरदायित्व होता है। वास्तविकता तो यह होती है कि अंशधारी कम्पनी में अपनी पूंजी का विनियोजन करके एक बड़ा जोखिम वहन करते हैं। कम्पनी के स्वामियों के प्रति एक व्यवसायी के प्रमुख उत्तरदायित्वों का उल्लेख निम्न प्रकार है-

1. **अंशधारियों के हितों की सुरक्षा :-** व्यवसायी का यह मूल उत्तरदायित्व है कि वह अंशधारियों के हितों की पूर्णरूप से सुरक्षा करे। अंशधारियों की पूंजी सुरक्षित रहे तथा उन्हें पर्याप्त लाभांश मिलता रहे, इस हेतु आवश्यक है कि व्यवसायी अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाये रखे। व्यवसायी

को अपने व्यवसाय का विकास तथा उसमें आवश्यक सुधार करने चाहिए तथा वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करनी चाहिए। अंशधारियों को लाभांश प्रदान करने के लिए व्यवसाय को लाभ अर्जित करना चाहिए। इसके अतिरिक्त एक कोष बनाया जाना चाहिए ताकि व्यवसाय की खराब स्थिति में भी उस कोष से स्वामियों को एक उचित लाभांश प्रदान किया जा सके।

2. **कम्पनी की सार्वजनिक छवि में सुधार :-** कम्पनी में किया गया विनियोग सुरक्षित रहे और उस पर पर्याप्त प्रतिफल मिलता रहे, इसी से अंशधारी संतुष्ट नहीं होते बल्कि वे कम्पनी की सार्वजनिक छवि में भी रूचि रखते हैं। अतः व्यवसायी का यह उत्तरदायित्व है कि वह कम्पनी की छवि में सुधार को सुनिश्चित करे ताकि उसकी सार्वजनिक छवि ऐसी बने जिससे अंशधारी अपनी कम्पनी पर अभिमान कर सके।

3. **अन्य उत्तरदायित्व :-** व्यवसायी के अपने स्वामियों के प्रति अन्य प्रमुख उत्तरदायित्व इस प्रकार से हैं-

(i) उसे अपने स्वामियों को उचित आदर व सम्मान देना चाहिए।

(ii) लाभांश का समय से भुगतान करना चाहिए।

(iii) व्यवसाय की प्रत्येक गतिविधि से स्वामियों को अवगत कराते रहना चाहिए

(iv) स्वामियों के निर्देशों का पालन करना चाहिए।

(v) अंशधारियों द्वारा मांगे जाने पर आवश्यक प्रलेखों की प्रतिलिपियां उपलब्ध कराना चाहिए।

(vi) अंशों की बिक्री के पश्चात् उन्हें अंश बाजार में सूचीबद्ध करा देना चाहिए।

कर्मचारियों के प्रति उत्तरदायित्व -

किसी भी संगठन की, एक बहुत बड़ी सीमा तक, सफलता उसके कर्मचारियों के हार्दिक सहयोग एवं मनोबल पर निर्भर करती है। कर्मचारियों का मनोबल नियोक्ता एवं कर्मचारी के सम्बन्ध तथा कर्मचारियों के प्रति पूरे किये गये उत्तरदायित्वों पर निर्भर करता है। संगठन के कर्मचारियों के प्रति महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व निम्नलिखित हैं :

- कर्मचारियों को समय से उचित पारिश्रमिक का भुगतान करना।
- कर्मचारियों को हरसम्भव श्रेष्ठ कार्यदशाएं उपलब्ध करना।

- कार्य के उचित मानदण्ड का निर्माण करना।
- कर्मचारियों एवं श्रमिकों को हरसम्भव कल्याण सुविधायें प्रदान करना।
- कर्मचारियों हेतु उचित प्रशिक्षण एवं शिक्षा की व्यवस्था करना।
- पदोन्नति के पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराना।
- कुशल परिवेदना निवारण पद्धति की स्थापना करना।
- कार्य के समय दुर्घटनाग्रस्त होने पर क्षतिपूर्ति करना।
- कर्मचारी संगठन एवं श्रम संघ का उचित सम्मान करना।
- कर्मचारियों को लाभ में से उचित हिस्सा प्रदान करना।
- प्रबन्ध में उन्हें आवश्यक प्रतिनिधित्व देना।
- कर्मचारियों की विशेष योग्यताओं एवं क्षमताओं की प्रशंसा करना तथा मान्यता प्रदान करना।
- मधुर औद्योगिक सम्बन्धों की स्थापना हेतु हरसम्भव प्रयास करना।
- कर्मचारी मनोबल को बढ़ाना, अच्छे कार्य की प्रशंसा करना तथा उपयोगी सुझाव देने हेतु कर्मचारी को प्रोत्साहित करना, इत्यादि।

उपभोक्ताओं के प्रति उत्तरदायित्व -

पीटर एफ ड्रुकर (Peter F. Drucker) के अनुसार, “व्यवसायिक उद्देश्य की सिर्फ एक उचित परिभाषा है- ग्राहक (उपभोक्ता) का सृजन करना।” उपभोक्ता व्यवसाय की नींव होता है तथा उसके अस्तित्व को बनाये रखता है। वह अकेला रोजगार प्रदान करता है। इन्हीं सब विशेषताओं के कारण उपभोक्ता को बाजार का राजा कहा जाता है। उपभोक्ताओं के प्रति व्यवसाय के सामाजिक उत्तरदायित्वों का संक्षिप्त ब्यौरा निम्न प्रकार से है :

1. व्यवसाय की कार्यकुशलता में सुधार करना ताकि उसकी उत्पादकता में वृद्धि हो तथा उपभोक्ताओं को कम मूल्य पर वस्तुएं प्राप्त हो सके।
2. उपभोक्ताओं को अच्छी किस्म की तथा स्वास्थ्यपूर्वक वस्तुएं उपलब्ध कराना।
3. वितरण प्रणाली को सरल एवं सहज बनाना ताकि उपभोक्ताओं को वस्तुएं आसानी से मिल सके।
4. शोध एवं विकास पर ध्यान देना जिससे उपभोक्ताओं को श्रेष्ठ एवं नये उत्पाद मिल सके।

5. वस्तु के विज्ञापन में मिथ्यावर्णन न करना जिससे उपभोक्ता को धोखा न हो।
6. विक्रय के पश्चात् आवश्यक सेवाएं (required after-sales services) उपलब्ध कराना।
7. उपभोक्ताओं की रूचि, आवश्यकता आदि का ध्यान रखना तथा उसी के अनुसार वस्तुओं का उत्पादन करना।
8. उपभोक्ता की शिकायतों को सुनना तथा उचित शिकायतों को अतिशीघ्र दूर करने का प्रयास करना।
9. पर्यावरण प्रदूषण को रोकने हेतु आवश्यक कदम उठाने चाहिए तथा पारिस्थितिकी संतुलन को बनाये रखना चाहिए।
10. व्यावसायिक क्रियाओं के परिणामस्वरूप विस्थापितों का पुनर्वास करना चाहिए।
11. लघु उद्योगों तथा आनुषंगिक उद्योगों को प्रोत्साहन देना चाहिए।
12. शोध एवं विकास में योगदान करना चाहिए।
13. पिछले क्षेत्रों का विकास तथा गन्दी बस्तियों के उन्मूलन हेतु यथासम्भव प्रयास करना चाहिए।
14. स्थानीय समुदाय के पूर्णरूपेण विकास हेतु सहायता करना चाहिए।
15. व्यावसायिक क्रियाओं की कुशलता में सुधार करना चाहिए।
16. समान योग्यता व कुशलता वाले कर्मचारी व श्रमिक हों तो स्थानीय व्यक्ति को प्राथमिकता देनी चाहिए।
17. अच्छे एवं स्वस्थ समाज के निर्माण में किये जा रहे राष्ट्रीय प्रयासों में योगदान करना चाहिए।

भारतीय व्यवसायी एवं सामाजिक उत्तरदायित्व

सामाजिक उत्तरदायित्व का विचार हमारे देश में बहुत पुराना है। व्यवसायियों द्वारा समाज के हित के लिए अपनी सम्पदा में से हिस्सा देने की अवधारणा हमारे देश के लिए न तो आधुनिक है, और न ही पश्चिमी देशों से आयातित। प्राचीन भारतीय समाज में व्यवसायी का महत्वपूर्ण सम्मानित स्थान था तथा वे समाज के हित के लिए मूल तंत्र की भांति कार्य करते थे। बाढ़, सूखा, महामारी आदि प्राकृतिक विपत्तियों के समय वे अपने खाद्यान्न के गोदाम सामान्य जनता के लिए खोल देते थे तथा अपने धन से राहत कार्यों में सहायता करते थे। धर्मशालाओं तथा मंदिरों का निर्माण, रात्रि

शरणस्थल (Night Shelters), जगह-जगह पीने के पानी की व्यवस्था, नदियों के किनारे घाटों का निर्माण, कुएँ बनवाना, इत्यादि व्यवसायियों के लिए आम बात थी। इसी प्रकार विद्यालयों में शिक्षा के लिए दान देना तथा गरीब लड़कियों के दहेज की व्यवस्था करना उनके लिए सामान्य कार्य था। स्वतंत्रता के पश्चात् व्यवसायी वर्ग ने अपने सामाजिक उत्तरदायित्व को निम्न प्रकार से पूरा किया :

स्वयं के प्रति

व्यवसायी वर्ग ने अपने प्रति उत्तरदायित्व को अच्छी तरह से निभाया है। व्यवसायी वर्ग (मुख्य रूप से निजी क्षेत्र) का प्रमुख उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है। व्यवसायियों ने लाभ का अर्जन कर तथा उसका पुनर्विनियोग कर अपने व्यवसाय का बहुमुखी विकास किया है। निजी क्षेत्र में समस्त आर्थिक क्रियाएं न केन्द्रित हो जाएं, इस हेतु सरकार ने विभिन्न स्तर पर कदम उठाये हैं। व्यवसायियों ने नये-नये उत्पाद बनाकर नये बाजारों में प्रवेश किया है। अनुसंधान तथा आधुनिकीकरण पर विशेष ध्यान दिया गया है।

स्वामियों के प्रति

व्यवसायियों ने स्वामियों या अंशधारियों के प्रति पूर्णरूप से उत्तरदायित्व का निर्वहन नहीं किया है। अंशधारियों का हित इसमें होता है कि उन्हें समय से पर्याप्त मात्रा में लाभांश मिलता रहे। चूंकि अंशधारी बिखरे हुए होते हैं, अतः वे संचालक मण्डल पर विश्वास करके उसे अपना ट्रस्टी बना देते हैं। व्यवहार में अंशधारियों को कभी-कभी लाभांश मिलता ही नहीं है या मिलता भी है तो बहुत थोड़ी मात्रा में इससे अंशधारियों के हित कुप्रभावित होते हैं। सरकार ने अंशधारियों के हितों की रक्षा के लिए कई कदम उठाये हैं। 'सेबी' की स्थापना इन्हीं कदमों में से एक है।

कर्मचारियों के प्रति

कुछ व्यवसायिक संगठनों को छोड़कर अधिकांश संगठनों ने कर्मचारियों के प्रति अपने सामाजिक उत्तरदायित्व की अवहेलना ही की है। टाटा, बिड़ला, जे0के0, रिलायन्स, मफतलाल, हिन्दुस्तान लीवर, डालमिया, इत्यादि कुछ गिने-चुने संगठन कर्मचारियों के प्रति उत्तरदायित्व को प्रभावी तरीके

से सम्पादित करते हैं। अधिकांश व्यवसायी अपने कर्मचारियों का अधिकाधिक शोषण करते हैं। न तो इन व्यवसायियों के पास कार्य मापन हेतु उचित पैमाना होता है और न ही कर्मचारियों को कार्य करने के लिए उचित पर्यावरण ये व्यवसायी प्रदान करते हैं। गुलामों की भांति इन कर्मचारियों का भी क्रय-विक्रय किया जाता है।

उपभोक्ताओं के प्रति

उपभोक्ताओं को अच्छी किस्म की तथा स्वास्थ्यवर्धक वस्तुएं उचित मूल्य पर प्राप्त करने का अधिकार है। परन्तु इस उत्तरदायित्व का निर्वहन करने में भारतीय व्यवसायी असफल रहा है। आज व्यवसायी नकली वस्तुओं को बेचकर, मिलावटी सामान बेचकर या अन्य किसी अनैतिक या अवैधानिक तरीके से थोड़े से समय में अधिक से अधिक लाभ कमाना चाहता है। किन्तु विगत कुछ वर्षों से व्यवसायी वर्ग में अपने उपभोक्ताओं के प्रति जागरूकता आयी है। अब व्यवसायी उपभोक्ताओं की रूचि तथा आवश्यकता, विज्ञापन में मिथ्यावर्णन न करना, अच्छी व सस्ती वस्तुएं उपलब्ध कराना, विक्रय के पश्चात् सेवा, वितरण प्रणाली को सरल बनाना, वस्तुओं को प्रमापित करवाना, उपभोक्ता की शिकायतों को सुनना तथा उनका उचित तरीके से समाधान करना, इत्यादि पर ध्यान देने लगा है।

सरकार के प्रति

जहाँ तक भारतीय व्यवसायियों द्वारा सरकार के प्रति अपने उत्तरदायित्व को निभाने का प्रश्न है, इसमें वे एक बड़ी सीमा तक असफल रहे हैं। व्यवसायियों के लिए करों की चोरी, रिश्वत देकर अधिकारियों को भ्रष्ट करना, राजनैतिक सम्बन्धों का अपने तुच्छ हितों हेतु दुरुपयोग करना, इत्यादि सामान्य बातें हैं। व्यवसायी काला बाजारी, मिलावट आदि करके विभिन्न सरकारी नियमों- अधिनियमों का खुला उल्लंघन करते हैं।

समुदाय के प्रति

व्यवसायी ने अपने आस-पास के समुदाय तथा राष्ट्र के लिए एक सीमा तक अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन किया है। समुदाय के लाभार्थ उन्होंने विद्यालयों, चिकित्सालयों, धर्मशालाओं, पुस्तकालयों

इत्यादि के निर्माण में योगदान दिया है। शिक्षा का प्रसार तथा जनसंख्या पर नियंत्रण जैसे कार्यों में भी वे पीछे नहीं रहे हैं। व्यवसायिक क्रियाओं के माध्यम से विस्थापितों का पुनर्वास, लघु उद्योगों तथा आनुषंगिक उद्योगों को प्रोत्साहन, शोध एवं विकास के कार्यों को विशेष महत्व दिया है।

विभिन्न औद्योगिक एवं व्यवसायिक नेताओं जैसे जी०डी० बिरला, जे०आर०डी० टाटा, लाला श्री राम, कस्तुरभाई लालाभाई, धीरूभाई अम्बानी एवं अन्य लोगों ने वैज्ञानिक एवं तकनीकी संस्थानों की स्थापना करने के साथ-साथ भारतीय कला, इतिहास व सभ्यता से सम्बन्धित केन्द्रों की स्थापना भी की है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फण्डामेन्टल रिसर्च, पिलानी तथा रांची में स्थापित बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, धीरूभाई अम्बानी के रिलायन्स ग्रुप द्वारा गांधीनगर में स्थापित टेक्नोलाजी इंस्टीट्यूट (मुम्बई), इत्यादि प्रमुख संस्थान निजी क्षेत्र द्वारा स्थापित किये गये हैं। इसी प्रकार सांस्कृतिक रंगमंचों की कमी को पूरा करने के लिए श्री राम बन्धुओं द्वारा दिल्ली में श्रीराम सेन्टर फॉर आर्ट्स एण्ड कल्चर स्थापित किया गया है।

NCERT SOLUTIONS

अभ्यास (पृष्ठ संख्या 180)

लघु उत्तर प्रश्न:

प्रश्न 1 व्यवसाय के सामाजिक उत्तरदायित्व से क्या तात्पर्य है? यह कानूनी उत्तरदायित्व से किस प्रकार भिन्न है?

उत्तर- व्यवसाय के सामाजिक उत्तरदायित्व से तात्पर्य-व्यवसाय के सामाजिक उत्तरदायित्व से तात्पर्य उन नीतियों का अनुसरण करना, उन निर्णयों को लेना अथवा उन कार्यों को करना है जो समाज के लक्ष्यों एवं मूल्यों की दृष्टि से वांछनीय हैं। दूसरे शब्दों में, व्यवसाय के सामाजिक उत्तरदायित्व से तात्पर्य समाज की आकांक्षाओं एवं इच्छाओं को समझना एवं मान्यता देना, इसकी सफलता के लिए योगदान देने का निश्चय करना साथ ही अपने लाभ कमाने के हित को ध्यान में रखना है।

सामाजिक उत्तरदायित्व तथा कानूनी उत्तरदायित्व में भिन्नता-

- एक व्यवसाय के सामाजिक उत्तरदायित्व उसके कानूनी उत्तरदायित्व से अधिक विस्तृत होते हैं।
- सामाजिक उत्तरदायित्वों को केवल कानून का पालन करके ही पूरा नहीं किया जा सकता है, जबकि कानूनी उत्तरदायित्वों को कानून का पालन करके पूरा किया जा सकता है।
- सामाजिक उत्तरदायित्व में व्यवसायी समाज के हितार्थ स्वेच्छा से कार्य करते हैं, जबकि कानूनी उत्तरदायित्व में व्यवसायी स्वेच्छा से कार्य नहीं करके संविधान अथवा कानून से बाध्य होकर कार्य करते हैं।

प्रश्न 2 वातावरण क्या है? वातावरण प्रदूषण क्या है?

उत्तर- **वातावरण का अर्थ-** वातावरण या पर्यावरण के अन्तर्गत मनुष्य के आस-पास के प्राकृतिक एवं मानव निर्मित दोनों वातावरण को ही सम्मिलित किया जाता है। ये वातावरण प्राकृतिक संसाधनों में भी हैं और जो मानव-जीवन के लिए उपयोगी होता है। इन संसाधनों को प्राकृतिक संसाधन भी कहा जा सकता है, जिसमें भूमि, जल, हवा, वनस्पति तथा कच्चा माल इत्यादि

सम्मिलित हैं। मानव निर्मित संसाधन जैसे सांस्कृतिक विरासत, सामाजिक-आर्थिक संस्थान तथा मनुष्य इत्यादि।

वातावरण प्रदूषण का अर्थ- वातावरण प्रदूषण वह होता जिससे भौतिक, रासायनिक तथा जैविक लक्षणों द्वारा हवा, भूमि तथा जल में बदलाव आता है। प्रदूषण मानव जीवन के लिए हानिकारक तथा अन्य जीवों को नष्ट करने वाला होता है। यह जीवन स्तर को गिराता है तथा सांस्कृतिक विरासतों को भी हानि पहुंचाता है।

प्रश्न 3 व्यावसायिक नैतिकता क्या है? व्यावसायिक नैतिकता के आधारभूत तत्वों को बतलाइये।
उत्तर- व्यावसायिक नैतिकता-व्यावसायिक नैतिकता का प्रत्यक्ष सम्बन्ध व्यावसायिक उद्देश्य, चलन तथा तकनीक से है, जो समाज के साथ-साथ चलन में रहते हैं। इस दृष्टि से एक व्यावसायिक इकाई को चाहिए कि वह सही मूल्य वसूल करे, सही तोल कर दे, ग्राहकों से सदभावनापूर्ण व्यवहार करे। वस्तुतः नैतिकता में मानवीय कार्यों का यह निश्चित करने के लिए आलोचनात्मक विश्लेषण किया जाता है कि वे सत्य एवं न्याय दो महत्त्वपूर्ण मानदण्डों के आधार पर सही हैं या गलत।

व्यावसायिक नैतिकता के आधारभूत तत्व-

- उच्चस्तरीय प्रबन्ध की प्रतिबद्धता।
- सामान्य संहिता का प्रकाशन।
- अनुपालन तंत्र की स्थापना।
- प्रत्येक स्तर पर कर्मचारियों को सम्मिलित करना।
- परिणामों का मापन करना।

प्रश्न 4 संक्षेप में समझाइये

- (क) वायु प्रदूषण
(ख) जल प्रदूषण तथा
(ग) भूमि प्रदूषण।

उत्तर-

(क) **वायु प्रदूषण-** वायु-प्रदूषण वह है जब बहुत से तत्व मिलकर वायु की गुणवत्ता को कम कर देते हैं। मोटर वाहनों द्वारा छोड़ा गया मोनोऑक्साइड तथा कारखानों से निकला हुआ धुआँ वायु प्रदूषण फैलाता है।

(ख) **जल प्रदूषण-** पानी मुख्यतः रसायन एवं कचरा के ढलाव से प्रदूषित हो जाता है। वर्षों से व्यवसायों, कारखानों एवं शहरों का कूड़ा-करकट नदियों एवं झीलों में बिना इसके परिणामों की परवाह किये फेंका जाता रहा है। इससे भी जल प्रदूषित हुआ है। जल प्रदूषण मानव जीवन के लिए एक गम्भीर चेतावनी है।

(ग) **भूमि प्रदूषण-** भूमि प्रदूषण का कारण कचरे को भूमि के अन्दर गाड़ देने से होता है। इसके कारण भूमि की गुणवत्ता तो नष्ट होती ही है, भूमि की उर्वरा शक्ति अर्थात् उपजाऊपन भी कम हो जाता है। इस प्रकार का प्रदूषण भी मानव जाति के लिए काफी नुकसानदायक हो गया है।

प्रश्न 5 व्यवसाय के सामाजिक उत्तरदायित्व के मुख्य क्षेत्र क्या हैं?

उत्तर- व्यवसाय के सामाजिक उत्तरदायित्व के मुख्य क्षेत्र-

1. **आर्थिक उत्तरदायित्व-** व्यावसायिक संस्था चूंकि एक आर्थिक इकाई है अतः इसका सबसे पहला उत्तरदायित्व उपभोक्ता वस्तुओं एवं सेवाओं का समाज को उपलब्ध कराकर तथा लाभ पर विक्रय कर सुलभ कराना है, जिसकी समाज को आवश्यकता है।
2. **कानूनी उत्तरदायित्व-** प्रत्येक व्यवसाय का यह भी सामाजिक उत्तरदायित्व है कि वह देश में बनाये हुए सभी कानूनों का पालन करे क्योंकि ये कानून समाज के हितों को ध्यान में रखते हुए बनाये गये हैं। कानून का पालन करने वाला उपक्रम सामाजिक उत्तरदायित्व का पालन करने वाला माना जाता है।
3. **नैतिक उत्तरदायित्व-** नैतिक उत्तरदायित्व में वह व्यवहार सम्मिलित है जिसकी समाज को व्यवसाय से अपेक्षा होती है। जैसे किसी भी वस्तु या उत्पाद का विज्ञापन करते समय धार्मिक भावनाओं का आदर किया जाना चाहिए।
4. **विवेकशील उत्तरदायित्व-** यह पूर्ण रूप से स्वैच्छिक एवं बाध्यपूर्ण उत्तरदायित्व है जिसे व्यवसाय अपनाते हैं। उदाहरणार्थ शिक्षण संस्थाओं के लिए दान देना अथवा बाढ़ या भूकम्प पीड़ितों की सहायता करना यह विवेकशील उत्तरदायित्व के अन्तर्गत ही आता है।

प्रश्न 6 कंपनी अधिनियम-2013 के अनुसार निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व को परिभाषित करें।
उत्तर- निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व का अभिप्राय कम्पनियों की भूमिका से है जो निरन्तर विकास की कार्यसूची तथा आर्थिक प्रगति, सामाजिक प्रगति व पर्यावरण संरक्षण की सन्तुलित धारणा को अपरिहार्य बनाकर निभा सकती है। निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व की कोई सार्वभौमिक स्वीकृत परिभाषा नहीं है। वर्तमान में अस्तित्व में प्रत्येक परिभाषा व्यवसायों के समाज पर प्रभाव तथा उनसे समाज की अपेक्षाओं को आधार बताती हैं। कम्पनी अधिनियम, 2013 में यह उल्लेख है कि निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रावधान उन कम्पनियों पर लागू होते हैं जिनका वार्षिक टर्नओवर 1000 करोड़ रुपया या अधिक है अथवा शुद्ध मूल्य 500 करोड़ रुपया या अधिक है अथवा शुद्ध लाभ 5 करोड़ रुपया या अधिक है।

यथार्थ में निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व एक प्रबन्ध अवधारणा है जिसके द्वारा कम्पनियाँ सामाजिक तथा पर्यावरणीय सरोकारों को व्यवसाय प्रचलनों से एकीकृत करती हैं तथा उनके हितधारियों से बातचीत करती हैं। निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व की विचारधारा कम्पनी की आर्थिक, पर्यावरणीय तथा सामाजिक आवश्यकताओं के बीच सन्तुलन स्थापित करती है तथा साथ ही अंशधारकों एवं हितधारकों की अपेक्षाओं का पता लगाती है और उन्हें पूरा करती है।

दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न-

प्रश्न 1 सामाजिक उत्तरदायित्व के पक्ष एवं विपक्ष में तर्क दीजिए।

उत्तर- सामाजिक उत्तरदायित्व के पक्ष एवं विपक्ष में तर्क-

पक्ष में तर्क-

1. **अस्तित्व एवं विकास के लिए-** व्यवसाय का अस्तित्व वस्तुओं एवं सेवाओं के मानव जाति की सन्तुष्टि के लिए उपलब्ध कराने पर निर्भर करता है। यथार्थ में व्यवसाय की उन्नति एवं विकास तभी सम्भव है जबकि समाज को वस्तुएँ एवं सेवाएँ नियमित रूप से उपलब्ध होती रहें। अतः एक व्यावसायिक संस्था द्वारा सामाजिक उत्तरदायित्व की अवधारणा ही उसके अस्तित्व एवं विकास के लिए औचित्य प्रदान करती है।
2. **फर्म का दीर्घकालीन हित-** व्यावसायिक फर्म या संस्था तभी अधिकतम लाभ कमा सकती है जबकि उसका सर्वप्रथम लक्ष्य समाज की सेवा करना हो। यदि कोई फर्म सामाजिक लक्ष्यों

की प्राप्ति में सहायता करती है तो जनता (कर्मचारी, उपभोक्ता, अंशधारी, सरकारी अधिकारीगण इत्यादि) की धारणा भी उसके पक्ष में विकसित हो जाती है।

3. **सरकारी विनियमन से बचाव-** व्यवसायी के दृष्टिकोण से सरकारी विनियमों का पालन करना अवांछित है क्योंकि वे स्वतन्त्रता को सीमित करते हैं। अतः यह विश्वास किया जाता है कि व्यवसायी वर्ग स्वेच्छा से सामाजिक उत्तरदायित्वों को स्वीकार करके सरकारी विनियमन से बच सकते हैं तथा नये कानून बनाने की आवश्यकता में कमी करने में सहायता कर सकते हैं।
4. **समाज का रख-रखाव-** वे व्यक्ति जो यह सोचते हैं कि उन्हें वह सब कुछ व्यवसाय से नहीं मिल रहा है जो निश्चय ही उन्हें मिलना चाहिए। वे दूसरी असामाजिक गतिविधियों का सहारा ले सकते हैं। इससे व्यवसाय के हितों को ठेस लगती है। अतः यह अति आवश्यक है कि व्यावसायिक संगठन सामाजिक उत्तरदायित्वों की ओर जागरूक हों और उन्हें स्वीकार करें।
5. **व्यवसाय में संसाधनों की उपलब्धता-** व्यावसायिक संस्थाओं के बहुमूल्य वित्तीय एवं मानवीय संसाधन होते हैं जिनका उपयोग प्रभावशाली ढंग से समस्याओं के समाधान में किया जा सकता है। अतः समाज के पास यह एक अच्छा अवसर है कि वह खोज करे कि ये संसाधन किस प्रकार सहायक हो सकते हैं। सामाजिक उत्तरदायित्व की अवधारणा इसमें सहायक होती है।
6. **समस्याओं का लाभकारी अवसरों में रूपान्तरण-** यह तर्क भी है कि व्यवसाय अपने गौरवपूर्ण इतिहास से जोखिम भरी परिस्थितियों को लाभकारी सौदों में बदलने से केवल समस्याओं को ही नहीं सुलझाते बल्कि प्रभावपूर्ण ढंग से चुनौतियों को स्वीकार करते हैं।
7. **व्यापारिक गतिविधियों के लिए बेहतर वातावरण-** सामाजिक उत्तरदायित्व की अवधारणा व्यापारिक गतिविधियों के लिए बेहतर वातावरण उपलब्ध कराती है। जो व्यावसायिक इकाई लोगों के जीवन की गुणवत्ता के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील है उसे अपना व्यवसाय चलाने के लिए परिणामस्वरूप अच्छा समाज मिलेगा।
8. **सामाजिक समस्याओं के लिए व्यवसाय उत्तरदायी-** वर्तमान में व्यवसायों ने स्वयं कुछ सामाजिक उत्तरदायित्वों को या तो पैदा किया है या उन्हें स्थायी बनाया है। उदाहरणार्थ पर्यावरण प्रदूषण, असुरक्षित कार्य स्थल, सरकारी संस्थानों में भ्रष्टाचार तथा विभेदात्मक

रोजगार प्रवृत्ति ऐसे उदाहरण हैं अतः व्यवसाय का यह नैतिक कर्तव्य है कि वह समाज को नकारात्मक रूप से प्रभावित करने वाले तत्वों का सामना करे न कि उन्हें समाधान के लिए अन्य व्यक्तियों पर छोड़ दे।

विपक्ष में तर्क-

1. **अधिकतम लाभ उद्देश्य पर अतिक्रमण-** व्यवसाय का मुख्य उद्देश्य अधिकतम लाभ कमाना होता है। अतः ऐसी स्थिति में सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वाह करने की बात इस उद्देश्य के विपरीत ही है। वास्तव में सामाजिक उत्तरदायित्वों का निर्वाह भी प्रभावी ढंग से तभी किया जा सकता है जब लाभ अधिकतम हो।
2. **उपभोक्ताओं पर भार-** यह भी तर्क दिया जा सकता है कि प्रदूषण नियन्त्रण तथा वातावरण संरक्षण अत्यन्त खर्चीले उपाय हैं जिन्हें अपनाने में अत्यधिक खर्चा करना पड़ता है। ऐसी दशा में व्यवसायी इस तरह के बोझ को मूल्यों में वृद्धि करके उपभोक्ताओं पर ही डालने का प्रयास करते हैं। अतः सामाजिक उत्तरदायित्व के नाम पर उपभोक्ता से अधिक मूल्य वसूल करना सर्वथा अनुचित ही है।
3. **सामाजिक दक्षता में कमी-** वास्तविकता यह है कि व्यवसायियों को सामाजिक समस्याओं को सुलझाने की न तो कोई समझ होती है और न ही उन्हें कोई प्रशिक्षण दिया जाता है। अतः यह तर्क दिया जाता है कि सामाजिक समस्याओं का निदान अन्य विशेषज्ञ एजेन्सियों द्वारा कराया जाना चाहिए।
4. **विशाल जन-समर्थन का अभाव-** सामान्यतया जनता सामाजिक कार्यक्रमों में उलझना पसन्द नहीं करती है। अतः कोई भी व्यावसायिक संस्था जनता के विश्वास के अभाव एवं सहयोग के बिना सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सफलतापूर्वक कार्य नहीं कर सकती।

प्रश्न 2 उन शक्तियों का वर्णन कीजिये जो व्यावसायिक उद्यमों की सामाजिक जिम्मेदारियों को बढ़ाने के लिए उत्तरदायी हैं।

उत्तर- व्यावसायिक उद्यमों की सामाजिक जिम्मेदारियों को बढ़ाने के लिए उत्तरदायी शक्तियाँ

व्यावसायिक उद्यमों की सामाजिक जिम्मेदारियों को बढ़ाने के लिए उत्तरदायी शक्तियाँ या ताकतें निम्नलिखित हैं-

1. **सार्वजनिक नियमन की आशंका-** प्रजातान्त्रिक देश में सरकारों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे समाज के सभी वर्गों की समान रूप से सुरक्षा करेगी। जब व्यावसायिक संगठन सामाजिक उत्तरदायित्वपूर्ण ढंग से कार्य नहीं करते हैं तो जनता की सुरक्षा के लिये सार्वजनिक विनियमनों को लागू किये जाने की कार्यवाही की जाती है। इसी सार्वजनिक नियमन की आशंका के कारण व्यावसायिक उद्यम सामाजिक उत्तरदायित्व को अपनाते हैं।
2. **श्रम आन्दोलनों का दबाव-** आधुनिक समय में श्रमिक अधिक शिक्षित एवं संगठित तथा अपने अधिकारों के प्रति अधिक जागरूक हुए हैं। श्रमिक संगठन सम्पूर्ण विश्व में श्रमिकों के हित में अधिक कार्य कर रहे हैं। बढ़ती हुई श्रमिक संगठनों की ताकत ने भी उद्योगपतियों को श्रमिकों के हित में कार्य करने के लिए बाध्य किया है।
3. **उपभोक्ताओं की जागरूकता-** शिक्षा के विकास, बाजार में बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा तथा जन-सम्पर्क के साधनों ने आज उपभोक्ताओं को अपने अधिकारों के प्रति अधिक जागरूक एवं सशक्त बना दिया है। इसीलिए व्यवसायियों ने ग्राहकोन्मुखी नीतियाँ बनाने एवं उनका पालन करना शुरू कर दिया है।
4. **व्यवसायियों के लिए सामाजिक मानकों का विकास-** आज कोई भी व्यवसायी अपने मनमाने ढंग से या मनमाने मूल्य पर वस्तुओं एवं सेवाओं का विक्रय नहीं कर सकता है। नवीनतम सामाजिक मानकों के विकसित हो जाने से विधिसंगत नियमों का पालन करते हुए व्यवसायी समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। कोई भी व्यवसाय समाज से अलग नहीं हो सकता, समाज ही व्यवसाय को स्थायी एवं उन्नतिशील बनाता है। यह केवल सामाजिक मानकों के आधार पर ही सम्भव हो सकता है।
5. **व्यावसायिक शिक्षा का विकास-** व्यावसायिक शिक्षा के विकास ने समाज को सामाजिक उद्देश्यों के प्रति और अधिक जागरूक बना दिया है। आज शिक्षा के प्रसार ने समाज के विभिन्न वर्गों को अधिक समझदार बना दिया है। फलतः आज समाज के सभी वर्ग अपने हितों को अच्छी तरह से पहचानते हैं।
6. **सामाजिक हित तथा व्यावसायिक हितों का सम्बन्ध-** आज व्यावसायिक उपक्रमों ने यह सोचना शुरू कर दिया है कि सामाजिक हित तथा व्यावसायिक हित एक-दूसरे के विरोधी न होकर एक-दूसरे के पूरक हैं। यह धारणा कि व्यवसाय का विकास केवल समाज के शोषण

से ही सम्भव है, पुरानी हो चुकी है। इसका स्थान इस विचारधारा ने ले लिया है कि व्यवसाय दीर्घकाल तक तभी चल सकते हैं जब वे समाज की सेवा भली-भाँति करें। अर्थात् वे अपने सामाजिक उत्तरदायित्वों को अधिक से अधिक निभायें।

7. **पेशेवर एवं प्रबन्धकीय वर्ग का विकास-** विशिष्ट प्रबन्धन संस्थानों एवं विश्वविद्यालयों ने पेशेवर एवं प्रबन्धकीय शिक्षा प्रदान कर एक विशिष्ट वर्ग को जन्म दिया है। इस विशिष्ट वर्ग अर्थात् पेशेवर प्रबन्धक का स्पष्ट मत है कि व्यवसाय के सफलतापूर्वक संचालन के लिए केवल लाभ अर्जित करने की अपेक्षा समाज के विविध हितों में अधिक रुचि लेनी चाहिए।

उपरोक्त के अतिरिक्त कुछ अन्य सामाजिक एवं आर्थिक बल आपस में मिलकर व्यवसाय को एक सामाजिक-आर्थिक क्रिया का रूप देते हैं। यह सामाजिक-आर्थिक क्रिया व्यवसाय को लाभ कमाने के साथ-साथ सामाजिक जिम्मेदारियाँ निभाने पर भी जोर देती है।

प्रश्न 3 "व्यवसाय निश्चित रूप से एक सामाजिक संस्था है न कि केवल लाभ कमाने की क्रिया।" व्याख्या कीजिए।

उत्तर- व्यवसाय समाज का अभिन्न अंग है। समाज से अलग रहकर व्यवसाय के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता है। व्यवसाय के लिए धनोत्पादन के साधन समाज ही प्रदान करता है। समाज के लोगों द्वारा तथा समाज के लिए और समाज में रहकर ही व्यवसाय किया जा सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि व्यवसाय का सामाजिक उत्तरदायित्व ही समाज की आवश्यकताओं, आकांक्षाओं एवं इच्छाओं को पूरा करना है। जो व्यवसाय केवल लाभ कमाने के उद्देश्य, से किया जाता है वह लम्बे समय तक स्थायी नहीं रह सकता है। सेवा भावना व्यावसायिक सफलता की कुंजी मानी जाती है। सेवा भावना को महत्त्व देने वाला व्यवसाय ही स्थायी रह सकता है।

आज के समय में समाज के साधनों का व्यापक हित की दृष्टि से उपयोग नहीं करके केवल अधिकाधिक लाभ कमाना, धन-संग्रह करने का उद्देश्य रखने वाला व्यवसाय कभी सफल नहीं हो सकता। जिस प्रकार जीवन के लिए भोजन अनिवार्य है परन्तु भोजन ही जीवन का ध्येय नहीं है ठीक इसी प्रकार व्यवसाय भी निश्चित रूप से एक सामाजिक संस्था है, न कि केवल लाभ कमाने की क्रिया। हेनरी फोर्ड ने ठीक ही कहा है कि "केवल धन के पीछे भागते रहना ही व्यवसाय नहीं

है।" व्यवसाय तो निश्चित रूप से एक सामाजिक संस्था है। व्यवसाय के कुछ उद्देश्य, जो उसे सामाजिक हित के लिए निभाने चाहिए, वे निम्नलिखित हैं-

1. **उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं की पूर्ति-** वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन एवं वितरण करना व्यवसाय का मुख्य कार्य होता है। अतः प्रत्येक व्यवसायी का समाज के हित में यह दायित्व है कि वह सही समय पर, सही स्थान पर, सही मात्रा में तथा सही कीमत पर वस्तुएँ एवं सेवाएँ उपलब्ध कराये।
2. **श्रमिकों के साथ उचित व्यवहार-** श्रमिक एवं कर्मचारी किसी भी व्यवसाय की अमूल्य निधि होती है। इनकी सन्तुष्टि पर ही व्यवसाय की सफलता निर्भर करती है। अतः व्यवसायियों को अपने श्रमिकों एवं कर्मचारियों के साथ न केवल न्यायोचित कार्य करना चाहिए वरन् उनके अधिकतम हित में भी कार्य करना चाहिए।
3. **विनियोजकों को उचित प्रतिफल-** आज कोई भी व्यवसाय बिना पूँजी के नहीं चल सकता है। पर्याप्त पूँजी के अभाव में व्यवसाय का अस्तित्व स्थिर नहीं रह सकता है। स्वयं व्यवसायी भी पर्याप्त मात्रा में अपने व्यवसाय के विकास एवं विस्तार के लिए पर्याप्त पूँजी की व्यवस्था नहीं कर पाता। व्यवसायी अपनी इस कमी को विनियोजकों के माध्यम से दूर कर सकता है। विनियोजक भी व्यवसाय में पूँजी तब ही लगायेंगे जबकि उन्हें उनकी आशा के अनुरूप लाभ मिले। व्यवसायी को इन विनियोजकों को अधिक से अधिक प्रतिफल प्रदान करके अपने दायित्व को निभाना चाहिए।
4. **समुदाय के हितों की पूर्ति-** व्यवसाय जब समाज में रहकर किया जाता है तो स्थानीय समुदाय को व्यवसाय द्वारा प्रदत्त अनेक मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। समुदाय अनेक तकलीफें (प्रदूषण, भीड़-भाड़, गन्दगी, शोर इत्यादि) झेलता है। अतः व्यवसायी को चाहिए कि वह स्थानीय समुदाय के हितों को ध्यान में रखे और इसके प्रति अपनी सामाजिक जिम्मेदारियाँ निभायें।

सार रूप में यह कहा जा सकता है कि व्यवसाय निश्चित रूप से एक सामाजिक संस्था है न कि केवल लाभ कमाने की क्रिया।

प्रश्न 4 व्यावसायिक इकाइयों को प्रदूषण नियन्त्रण उपायों को अपनाने की क्यों आवश्यकता है?

उत्तर- व्यावसायिक इकाइयों को प्रदूषण नियन्त्रण उपायों को अपनाने की आवश्यकता-

मानव जाति तथा अन्य जीव-धारियों के लिए वायु, जल तथा हवा अत्यन्त आवश्यक तत्त्व हैं। इनके बिना जीवन की कल्पना तक नहीं की जा सकती है। इन जीवनदायी तत्त्वों को कितनी क्षति पहुँचती है, यह इस बात पर अधिक निर्भर करती है कि यहाँ प्रदूषण कितना और किस प्रकार का है। प्रदूषण फैलाने वाले तत्त्वों को कितनी म दिया गया है तथा हमारे माध्यम प्रदूषण स्रोत से कितनी दूर हैं। अत्यधिक प्रदूषण से वायु मनुष्य के लिए साँस लेने में हानिकारक हो सकती है, पानी पीने योग्य नहीं रहता है, भूमि उपजाऊ नहीं होकर विषैले पदार्थ उगलने वाली बन जाती है। अतः यह आवश्यक हो जाता है कि प्रदूषण रोकने के लिए कुछ आवश्यक कदम उठाये जायें ताकि मानव जीवन ही नहीं सम्पूर्ण विश्व सुखी एवं सम्पन्न भी रह सके। संक्षेप में, प्रदूषण नियन्त्रण की आवश्यकता निम्न कारणों से है-

1. **स्वास्थ्य सम्बन्धी आशंकाओं को कम करना-** हमारे समाज में मृत्यु के प्रमुख कारणों में कैंसर, हृदय एवं फेफड़ों से सम्बन्धित बीमारियाँ मुख्य हैं। ये बीमारियाँ मुख्य रूप से वातावरण में दूषित तत्त्वों के कारण होती हैं। प्रदूषण नियन्त्रण उपाय ऐसी बीमारियों की भयंकरता को ही नहीं रोकते, बल्कि मानव जीवन को सुखी बनाने में भी सहायक होते हैं तथा स्वस्थ जीवन जीने का सुअवसर प्रदान करते हैं।
2. **दायित्वों की जोखिम को कम करना-** ऐसा हो सकता है कि व्यावसायिक इकाइयों को विषाक्त गैस आदि से पीड़ित कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति करने के लिए उत्तरदायी बना दिया जाये जिन्होंने प्रदूषण फैलाया है। अतः यह जरूरी है कि इन दायित्वों की जोखिमों को कम करने के लिए कारखानों एवं भवनों के अन्य भागों में प्रदूषण नियन्त्रण उपकरण स्थापित किये जायें।
3. **लागत में बचत-** एक प्रभावी प्रदूषण नियन्त्रण कार्यक्रम उत्पादन लागत को कम करने के लिए भी आवश्यक है। यह उस समय अधिक आवश्यक है, जब उत्पादन इकाई, अपनी उत्पादन क्रिया में अधिक कचरा छोड़ रही हो। इस स्थिति में कचरे तथा मशीन की सफाई में अधिक खर्चा करना पड़ेगा। इस होने वाले अधिक खर्चे को प्रदूषण नियन्त्रण उपकरणों का उपयोग करके ही कम किया जा सकता है।

4. **सार्वजनिक-** छवि में सधार-आज के समय में जनता वातावरण की गुणवत्ता अर्थात इसके प्रदूषण रहित होने के बारे में अधिक जागरूक है। जब एक व्यावसायिक संस्था वातावरण को अच्छा बनाने का उत्तरदायित्व स्वयं ग्रहण कर लेती है तो उस संस्था की सार्वजनिक प्रतिष्ठा एक सार्वजनिक कर्तव्यनिष्ठ उद्यम के रूप में उभरती है।
5. **अन्य सामाजिक हित/लाभ-** प्रदूषण नियन्त्रण की आवश्यकता इस रूप में भी अधिक है कि इससे बहुत से लाभ/हित प्राप्त होते हैं जैसे स्पष्ट दृश्यता, स्वच्छ इमारते, उच्च कोटि का जीवन-स्तर तथा प्राकृतिक उत्पादों की शुद्ध रूप में उपलब्धता सम्भव होना।।

प्रश्न 5 वातावरण को प्रदूषित होने के खतरों से बचाने के लिए एक उद्यम क्या-क्या उपाय कर सकता है?

उत्तर- पर्यावरण को नष्ट होने से बचाने का उत्तरदायित्व सभी पक्षों का है। चाहे वह स्वयं सरकार का हो, व्यावसायिक उद्यम हो, उपभोक्ता हो, कर्मचारी हो या समाज के अन्य सदस्य, सभी को इसे प्रदूषित होने से बचाने के लिए कुछ-न-कुछ अवश्य करना चाहिए। खतरनाक प्रदूषित उत्पादों पर रोक लगाने के लिए सरकार कानून बना सकती है। उपभोक्ता, कर्मचारी तथा समाज के सदस्य ऐसे उत्पादों के उपभोग को बन्द कर सकते हैं। व्यावसायिक इकाइयों का यह सामाजिक उत्तरदायित्व है कि वे केवल प्रदूषण-जनित बातों पर ही ध्यान केन्द्रित न करें बल्कि पर्यावरण संसाधनों की सुरक्षा का उत्तरदायित्व भी अपने ऊपर लें।

व्यावसायिक इकाइयाँ धन की सृजनकर्ता, रोजगार प्रदान करने वाली तथा भौतिक एवं मानवीय संसाधनों को सम्भालने वाली संस्थाएँ हैं। वे यह भी समझती हैं कि प्रदूषण नियन्त्रण से सम्बन्धित समस्याओं को कैसे सुलझाया जा सकता है। वे उत्पादन प्रक्रिया में परिवर्तन करके संयंत्रों के रूप में बदलाव करके, घटिया किस्म के कच्चे माल के स्थान पर उच्च कोटि के कच्चे माल का प्रयोग करके, प्रदूषण को नियंत्रित करने में सहायता प्रदान कर सकती है।

संक्षेप में, वातावरण को प्रदूषित होने के खतरों से बचाने के लिए निम्नलिखित उपाय किये जा सकते हैं-

- उच्चस्तरीय प्रबन्धकों द्वारा वचनबद्ध होकर कार्य करना-उच्चस्तरीय प्रबन्धकों द्वारा पर्यावरण सुरक्षा तथा प्रदूषण नियन्त्रण के लिए वचनबद्ध होकर कार्य करना चाहिए।

- सरकारी नियमों का पालन करके-प्रदूषण नियन्त्रण से सम्बन्धित सरकार द्वारा बनाये गये नियमों का पालन करना चाहिए।
- प्रत्येक इकाई को वचनबद्धता की याद दिलाना-यह विश्वास दिलाया जाना चाहिए कि उद्यम की प्रत्येक इकाई पर्यावरण सुरक्षा तथा प्रदूषण नियन्त्रण के लिए वचनबद्ध है।
- पर्याप्त कार्यवाही करके-समय-समय पर प्रदूषण नियन्त्रण कार्यक्रम का लागत एवं प्रतिफल का मूल्यांकन करना चाहिए ताकि पर्यावरण सुरक्षा के लिए पर्याप्त कार्यवाही की जा सके।
- अच्छे किस्म के कच्चे माल के क्रय के लिए नियम बनाना-अच्छे किस्म के कच्चे माल के क्रय के लिये नियम बनाना, उच्चकोटि की तकनीक अपनाना, कचरे के निष्पादन के लिए वैज्ञानिक तकनीक अपनाना ताकि प्रदूषण पर नियन्त्रण हो सके।
- सरकारी कार्यक्रमों में सहयोग प्रदान करके-जोखिम भरे द्रव्य पदार्थों की उचित व्यवस्था हेतु सरकारी कार्यक्रमों में सहयोग करना चाहिए।
- कार्यशालाओं का आयोजन करके-प्रदूषण नियन्त्रण कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन हेतु आपूर्तिकर्ताओं, डीलर्स तथा क्रेताओं के तकनीकी ज्ञान तथा अनुभवों का लाभ प्राप्त करने हेतु समय पर कार्यशालाओं का आयोजन किया जाना चाहिए।

प्रश्न 6 व्यावसायिक नैतिकता के विभिन्न तत्त्वों की व्याख्या कीजिए।

उत्तर- व्यावसायिक नैतिकता के तत्त्व व्यावसायिक नैतिकता के कुछ प्रमुख तत्त्व निम्नलिखित हैं-

1. **उच्चस्तरीय प्रबन्ध की प्रतिबद्धता-** उच्चस्तरीय प्रबन्ध को नैतिकता के व्यवहार के सम्बन्ध में संगठन को समझाने में अपनी निर्णायक भूमिका होती है। अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा अन्य उच्चस्तरीय प्रबन्धकों को निश्चित रूप से तथा दृढ़तापूर्वक नैतिकता के व्यवहार के लिए वचनबद्ध होना चाहिए। उन्हें संगठन के मूल्यों के विकास तथा अनुरक्षण के लिए सदैव अपना नेतृत्व अवरुद्ध गति से प्रदान करते रहना चाहिए।
2. **परिणामों का मापन-** यद्यपि यह काफी मुश्किल है कि नैतिक कार्यक्रमों की माप की जाये लेकिन फिर भी फर्म या व्यावसायिक संस्था कुछ मानक स्थापित करके ऐसा कर सकती है।

भविष्य की कार्यवाही के विषय में उच्चस्तरीय प्रबन्धक तथा कर्मचारियों की टीम इस विषय में वाद-विवाद कर सकते हैं।

3. **सामान्य संहिता का प्रकाशन-** वे उद्यम जिनके पास प्रभावी नैतिक कार्यक्रम हैं वे सभी संगठनों के लिए नैतिक सिद्धान्तों को लिखित प्रलेखों के रूप में परिभाषित करते हैं जिन्हें 'संहिता' या 'कोड' कहा जाता है। इसमें कुछ नैतिक मूल्यों जैसे आधारभूत ईमानदारी, कानून-पालन, उत्पादन सुरक्षा एवं कोटि, कार्यस्थल पर सुरक्षा हितों का टकराव, नियोजन विधियाँ, बाजार की उचित विक्रय प्रणाली तथा वित्तीय प्रतिवेदन आदि के विषय में कानूनी प्रकाशन होने इत्यादि को सम्मिलित करते हैं।
4. **अनुपालन तन्त्र की स्थापना-** यह निश्चित करने के लिए कि वास्तविक निर्णय तथा कार्यों का निरूपण फर्म के नैतिक स्तरों के अनुसार किया जाता है, उचित अनुपालन तन्त्र की स्थापना की जानी चाहिए। जैसे प्रशिक्षण के समय नैतिकतापूर्ण व्यवहार करना, भर्ती तथा भाड़े पर श्रम लेने के लिए नैतिक मूल्यों की ओर ध्यान देना तथा अनैतिक कार्यों के बारे में कर्मचारियों को सूचित करना।
5. **प्रत्येक स्तर पर कर्मचारियों को सम्मिलित करना-** व्यवसाय को नैतिकता का वास्तविक रूप देने के लिए कर्मचारियों को प्रत्येक स्तर पर सम्मिलित किया जाना चाहिए जिससे कि उनकी सम्बद्धता नैतिक कार्यक्रमों में भी हो सके। संस्था की नैतिकता सम्बन्धी नीतियों के निर्धारण में कर्मचारियों को सम्मिलित करके उनके रुझान एवं विचारों का भी मूल्यांकन करना चाहिए।

प्रश्न 7 कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व रूपरेखा की व्याख्या करें।

उत्तर- कम्पनी अधिनियम, 2013 के अनुसार निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व रूपरेखा

1. **निगमीय सामाजिक उत्तरदायित्व-** कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 में बड़ी कम्पनियों पर निगमीय सामाजिक दायित्व डाला गया है ताकि देश के आर्थिक-सामाजिक उत्थान एवं विकास में उनकी सक्रिय साझेदारी सुनिश्चित की जा सके। कम्पनी अधिनियम, 2013 के अनुसार प्रत्येक ऐसी कम्पनी जिसकी कुल क्षमता 500 करोड़ रुपया या अधिक हो

या सकल उत्पाद एक हजार करोड़ रुपये से अधिक हो या वित्तीय वर्ष में कुल लाभ 5 करोड़ रुपये से अधिक हो, अपने निदेशक मण्डल की तीन या अधिक निदेशकों की एक निगमीय सामाजिक उत्तरदायित्व समिति (CSR समिति) का गठन करेगी और इनमें से कम से कम एक स्वतन्त्र संचालक होना ।

2. **निदेशकों की रिपोर्ट में व्यक्त करना-** कम्पनी द्वारा बनायी गई इस समिति के गठन की जानकारी कम्पनी निदेशक मण्डल की रिपोर्ट में देनी होगी।
3. **समिति के कार्य-** सी.एस.आर. समिति के मुख्य कार्य निम्नलिखित होंगे-
 - यह समिति एक निगमीय सामाजिक उत्तरदायित्व व नीति का निर्धारण करेगी जो अधिनियम की अनुसूची 7 में बताये गये क्रियाकलापों में से कम्पनी द्वारा किये गये क्रियाकलापों के सम्बन्ध में निदेशक
 - इन क्रियाकलापों पर खर्च की राशि की सिफारिश करेगी।
 - यह समिति कम्पनी द्वारा बनायी गई निगमीय सामाजिक उत्तरदायित्व नीति को मोनीटरकरेगी।
4. **निदेशक मण्डल द्वारा कार्यवाही-** निदेशक मण्डल सी.एस.आर. समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर विचार करेगा, इससे सम्बन्धित नीति का अनुमोदन करेगा तथा अपनी रिपोर्ट में निर्धारित तरीके से इस नीति को प्रकट करेगा तथा कम्पनी की वेबसाइट पर डलवायेगा। साथ ही निदेशक मण्डल यह सुनिश्चित करेगा कि कम्पनी की नीति में सम्मिलित क्रियाकलाप कम्पनी द्वारा किये जायें।
5. **खर्च करना-** कम्पनी को अपने प्रत्येक वित्तीय वर्ष के ठीक पहले के तीन वर्ष के औसत शुद्ध लाभों का कम से कम 2 प्रतिशत निगमीय सामाजिक उत्तरदायित्वों पर खर्च करना होगा।
6. **स्थानीय क्षेत्र को प्राथमिकता-** कम्पनी निगमीय सामाजिक उत्तरदायित्व नीति के अन्तर्गत किये जाने वाले कार्यों में उस स्थानीय क्षेत्र को प्राथमिकता देगी जिस क्षेत्र में कार्यरत होगी।
7. **असफलता का उल्लेख-** यदि कोई कम्पनी कम से कम 2 करोड़ रुपया खर्च करने में असफल रहती है तो उसे अपने निदेशक मण्डल की रिपोर्ट में इसका उल्लेख करना होगा।

8. **शुद्ध लाभ की गणना-** निगमीय सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) की गतिविधियों पर खर्च की जाने वाली राशि के शुद्ध लाभ की गणना इस कम्पनी अधिनियम की धारा 196 के अनुसार की जायेगी।
9. **अन्य प्रावधान-** निगमीय सामाजिक उत्तरदायित्व नियम, 2014 के मुख्य प्रावधान निम्नलिखित हैं-
- CSR सम्बन्धी प्रावधान प्रत्येक कम्पनी, उसकी सहायक सूत्रधार कम्पनी तथा भारत में व्यवसाय करने वाली विदेशी कम्पनी पर भी लागू होंगे।
 - एक कम्पनी निगमीय सामाजिक उत्तरदायित्व की गतिविधियाँ अन्य कम्पनियों के साथ मिलकर संचालित कर सकती है किन्तु उसे इससे सम्बन्धित समिति में अनुमोदन कराना होगा।
 - निगमीय सामाजिक उत्तरदायित्व के क्रियाकलापों पर व्यय भारत में ही किया जाना चाहिए।
 - ऐसे क्रियान्वयन जो कम्पनी केवल कर्मचारियों एवं उनके परिवार के लाभ के लिए किये जाते हैं उन्हें सी.एस.आर. गतिविधियों में सम्मिलित नहीं किया जा सकेगा।
 - गैर सूचीबद्ध कम्पनी या निजी कम्पनी को सी.एस.आर. समिति में स्वतन्त्र संचालक नियुक्त करने की छुट
 - यदि किसी कम्पनी में दो ही निदेशक हैं तो वे ही सी.एस.आर. समिति के सदस्य माने जायेंगे। (7) सी.एस.आर. समिति एक पारदर्शी निगरानी व्यवस्था कायम करेगी।
 - कम्पनी के निदेशक मण्डल को अपनी सी.एस.आर. की गतिविधियों के सम्बन्ध में एक वार्षिक प्रतिवेदन देना होगा तथा इनका विवरण निर्धारित तरीके से अपनी वेबसाइट पर देना होगा।